

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया।

प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं0— /2026
CNR.No.UPAU

राज्य

बनाम

अखिलेश यादव आदि।

मुकदमा सं0—4423/2025

मु0अ0सं0—133/2022

धारा—323,504,506,452 भा0दं0सं0

थाना—ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांक—10.03.2026

1. अभियुक्तगण अखिलेश यादव पुत्र तिलक सिंह, रिक्की यादव उर्फ नागेश पुत्र अखिलेश यादव की ओर से मु0अ0सं0—133/2022, अन्तर्गत धारा—323,504,506,452 भा0दं0सं0 थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण हाजिर होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण का संज्ञान भी लिया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को हाजिरी के पश्चात न्यायालय के द्वारा सूचित किया गया कि प्रथमतया प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में निजी बंधपत्र एवं अपडरटेकिंग प्रस्तुत करने के वह अधिकारी हैं।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण ने घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण जमानत देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।
3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हैं। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध 07 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा विचारण में सहयोग करने का कथन शपथपत्र पर किया गया है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, बिना गुण दोष पर टीका-टिप्पणी किये एवं **Satender Kumar Antil Vs Central Bureau of Investigation 2022 (10) SCC 51** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जामिंदार दाखिल करने हेतु भी तैयार हैं, अतः इस स्तर पर उन्हें जामिंदार दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।
5. अतः अभियुक्तगण द्वारा 20,000/—रुपये की एक-एक जमानत एवं समान धनराशि का एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर दौरान विचारण रिहा किया जाता है कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे तथा गवाहों को डरारेंगे व धमकारेंगे नहीं। विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्तगण को आरोप पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों की प्रतियां निशुल्क प्रदान करें।

(कुशाग्र मिश्र)

अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।

J.O Code :UP4693